कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विद्युत/479–184/374 दिनांक 17/02/2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
रायगढ़ वनमंडल, रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land of non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for diversion of forest land for other forest purpostry purpose under FCA 1980 to set the proposed 132 KV DCDS Transmission Line for M/s Nav Durga Fuel (P) Ltd. at village Saraipali District Raigarh Chhattisarh area 2.978 ha Regarding.**

– **पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 44661/2020**

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक./454 दिनांक 09.02.2023

–00–

संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण का प्रस्ताव अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र एवं तहसील घरघोड़ा के ग्राम भेंगारी में निजी भूमि खसरा कमांक 128/2 रकबा 3.035 हे. का चयन किया गया है। प्रस्ताव में संलग्न खसरा पी–2 में पूर्व से विभिन्न प्रजाति के वृक्ष होने की जानकारी दर्ज है तथा .kml फाईल के अनुसार भी क्षेत्र में घनत्व दिखाई दे रहा है किन्तु वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के पत्र दिनांक 08.08.2022 अनुसार उक्त निजी भूमि खसरा को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त बताते हुए रोपण योजना संलग्न किया गया है। भारत सरकार के वन संरक्षण नियम 2022 अनुसार जिन गैर वन भूमि में पहले से ही 0.4 वितान सघनता की वनस्पति पैदा हो रही है उन प्रकरणों में प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत उपचार प्रावधानित है।

अतः प्रस्ताव के कम में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि खसरा कमांक 128/2 रकबा 3.035 हे. के वन सघनता का पुनः परीक्षण कर प्रस्तावित निजी भूमि एवं वन भूमि के बीच दूरी दर्शित मानचित्र सहित वन मंडलाधिकारी का रोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे यदि सघनता 0.4 से अधिक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण अंतर्गत वन सुधार का कार्यक्रम कियान्वयन का प्रस्ताव अनुशंसा सहित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करे।

साथ ही प्रस्ताव के बिन्दु कमांक 32 अनुसार क्षेत्र में हाथी आवागमन होने का उल्लेख किया गया है इस कम में विगत दो वर्षो में कितनी बार हाथियों के आवागमन हुई की जानकारी भी प्रस्तुत करे।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–184/375 दिनांक 17/02/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर।
2. **Electrical Manager,** नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लि, सांई सदन, प्लाट नं. 91/10 दरोगा मुरा, एस.बी.आई के सामने, कोटरा रोड, रायगढ़

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/व.सं.अ)
o/c छत्तीसगढ़